

Total Number of Illegal Constructions

725. Shri Neeraj Sharma, M.L.A.: Will the Chief Minister be pleased to state -

- (a) the total number of illegal constructions on Mathura road from Badarpur Metro Station upto Ballabgarh Metro Station;
- (b) the reasons for which the TOD policy of the Government has not been implemented on the abovesaid illegal constructions; and
- (c) the steps taken by the Government to remove the abovesaid illegal construction?

Dr. Kamal Gupta, Urban Local Bodies Minister

Sir,

- (a) A door to door physical survey of units abutting both sides of National Highway leading from Delhi- Faridabad border to Jharsaintly border was conducted in year 2018 by team of Municipal Corporation Faridabad which identified 161 unauthorized construction raised contrary to sanctioned building plan or without obtaining approval of building plans. Number of illegal constructions from Badarpur Metro Station to Ballabgarh Metro Station out of these 161 needs to be ascertained.
- (b) Town and Country Planning Department vide its notification no. CCP (NCR)/TOD/2016/343 dated 09.02.2016 notified the policy parameters for Transit Oriented Development (TOD) Zone along MRTS Projects. No application has been received for taking benefit of TOD policy in Municipal Corporation, Faridabad.
- (c) Details of steps taken by Municipal Corporation, Faridabad to remove these illegal constructions is not available in the compiled form. The Municipal Corporation, Faridabad will take necessary action for prevention of unauthorized constructions against the violators following due process of law.

अवैध निर्माणों की कुल संख्या

725. श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए.: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:—

(क) मथुरा रोड़ पर बदरपुर मेट्रो स्टेशन से बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन तक अवैध निर्माणों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त अवैध निर्माणों पर सरकार की (टी.ओ.डी) परागमन उन्मुख विकास नीति लागू न किए जाने के क्या कारण हैं; तथा

(ग) उपरोक्त अवैध निर्माणों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए ?

डा० कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा

श्रीमान जी,

(क) नगर निगम, फरीदाबाद की टीम द्वारा वर्ष 2018 में दिल्ली-फरीदाबाद सीमा में झारसंतली सीमा तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों किनारों पर स्थित इकाइयों का डोर-टू-डोर सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 161 अनाधिकृत निर्माण जो की स्वीकृत भवन योजना के विपरीत या भवन योजना की स्वीकृति प्राप्त किए बिना बने हुए थे चिन्हित किया गया था। इन 161 अवैध निर्माणों में से जो की बदरपुर मेट्रो स्टेशन से बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पर स्थित है को सुनिश्चित करवाने की आवश्यकता है।

(ख) नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने अपनी अधिसूचना सं. सीसीपी (एन०सी०आर०) / टी०ओ०डी० / 2016 / 343 दिनांक 09.02.016 द्वारा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेन्ट (टी०ओ०डी०) जोन के साथ एम०आर०टी०एस० परियोजनाओं के लिए नीति मानकों को अधिसूचित किया है। नगर निगम, फरीदाबाद में टी०ओ०डी० नीति का लाभ लेने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण संकलित प्रपत्र में उपलब्ध नहीं है। नगर निगम, फरीदाबाद अनाधिकृत निर्माणों की रोकथाम के लिए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगा।